अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा निर्देश

अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा—

i. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति मे अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है । लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रविण्यता सूची तैयार किये जाने पर आवेदन पत्र से लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर यदि भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को फर्जी मानते हुए कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है साथ ही उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकता है ।

ii. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रातः 09:00 बजे तक (Reporting Time) निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

iii. परीक्षा प्रातः 10:00 बजे प्रारंभ होगी। किसी भी अभ्यर्थी को प्रातः 10:10 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र/परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

iv. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।

v. इस परीक्षा में किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.5 अंक का नकारात्मक अंकन (Negative Marking) है।

vi. प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प का चयन करें।

vii. उत्तर अंकित करने के लिए दी गई प्रश्न–पत्र का ही उपयोग करें। पृथक से उत्तर–पत्रिका नही दी जावेंगी।

viii. प्रश्न–पत्र में उत्तर अंकित/टीक करने से पूर्व उसमें दिए गए अभ्यर्थी क्रमांक (Roll No.) एवं अन्य अपेक्षित विवरण को निर्देशानुसार सावधानीपूर्वक भरें/अंकित करें।

ix. प्रश्न–पत्र में उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले रंग के बॉल पेन (Blue Ball Point Pen) का प्रयोग करें। पेंसिल, जेल पेन अथवा किसी अन्य माध्यम का प्रयोग न करें।

x. किसी उत्तर को बदलने, मिटाने, काटने अथवा एक से अधिक विकल्प अंकित करने पर उस प्रश्न का उत्तर अमान्य किया जाएगा। प्रश्न–पत्र पर किसी प्रकार की अनावश्यक लिखावट, निशान अथवा छेड़छाड़ न करें।

xi. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी पहचान प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित में से कोई एक मूल एवं वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र (Original Photo ID) साथ लाना अनिवार्य होगा: (i) आधार कार्ड; (ii) मतदाता परिचय–पत्र (Voter ID); (iii) ड्राइविंग लाइसेंस; (iv) पासपोर्ट; (v) पैन कार्ड; अथवा (vi) केन्द्र अथवा राज्य शासन अथवा किसी अन्य सक्षम शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र।

xii. प्रवेश–पत्र अथवा मान्य मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

xiii. प्रवेश–पत्र जारी किया जाना अभ्यर्थी की अंतिम पात्रता अथवा चयन/मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता/शर्तों को पूरा नहीं करता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा वह मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होगा।

xiv. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी अपने साथ केवल निम्नलिखित सामग्री ला सकता है: (i) नीले रंग का बॉल पेन; (ii) पानी की बोतल; (iii) प्रवेश–पत्र; तथा (iv) मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री को परीक्षा कक्ष में लाने की अनुमति नहीं होगी।

xv. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की पुस्तक, नोट्स, कागज, लिखित सामग्री, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण को लेकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नही दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर मुल्यवान व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओ को रखने की कोई व्यवस्था नही होगी, यदि कोई अभ्यर्थी इन वस्तुओ के साथ परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होता है तो इसकी जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

xvi. प्रश्न–पत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेगा कि उसे पूर्ण एवं सही मुद्रित प्रश्न–पत्र प्राप्त हुई है। किसी पृष्ठ के कटे, फटे, गायब, अस्पष्ट अथवा मुद्रण–दोषयुक्त होने अथवा किसी अन्य विसंगति की स्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तत्काल वीक्षक (Invigilator) को सूचित करेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिन्ट पश्चात् प्रश्न–पत्र परिवर्तित नहीं की जायेगी।

xvii. प्रश्न–पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य पृष्ठ, कागज अथवा स्थान पर रफ कार्य/लिखावट करना प्रतिबंधित होगा। रफ कार्य केवल परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थान/पृष्ठ पर ही किया जायेगा।

xviii. प्रातः 11:00 बजे से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात् परीक्षा की शेष अवधि में भी किसी विशेष अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति केवल केन्द्राध्यक्ष की स्वीकृति से ही दी जा सकेगी।

xix. अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी से बातचीत, संकेत, सामग्री का आदान–प्रदान अथवा किसी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने या देने का प्रयास नहीं करेगा।

xx. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में शांति एवं अनुशासन बनाये रखेगा तथा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक एवं वीक्षक द्वारा दिये गये वैध निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

xxi. परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाया जाता है अथवा वह किसी अनुचित साधन (Unfair Means) का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

xxii. प्रश्न–पत्र किसी अन्य अभ्यर्थी को देना, दिखाना अथवा उसकी अदला–बदली करना पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसा कृत्य परीक्षा में अनुचित साधन (नकल) के प्रयोग की श्रेणी में माना जाएगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

xxiii. परीक्षा समाप्त होने पर अभ्यर्थी उत्तर अंकित किया हुआ अपना प्रश्न–पत्र वीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेगा। किसी भी अभ्यर्थी को प्रश्न–पत्र अपने साथ परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

xxiv. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्न–पत्र में अनुक्रमांक (रोल नंबर) एवं अन्य अपेक्षित विवरण सही ढंग से अंकित किये गये हैं। इन विवरणों को गलत अथवा अपूर्ण रूप से अंकित करने से प्रश्न–पत्र के मूल्यांकन में कठिनाई होने पर उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

xxv. परीक्षा संबंधी किसी भी विषय में केन्द्राध्यक्ष/परीक्षा प्रभारी द्वारा दिया गया वैध निर्देश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

03/11/26

अध्यक्ष
भर्ती समिति,
कार्यालय–न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
जिला–मुंगेली (छ.ग.)